न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 49/2022

अनवान : –

1. पीरदान पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

–सायल

बनाम्

1. जगदीश पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. हेमराज पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 22/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 93/87 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 227/6 की कुल 4.4395 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 208/204 की कुल 1.5180 हैक्ट गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल अपने गांव परलीका से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 के खेत रोही मौजा 6 बारानी के प0न0 343/431(17) के किला न0 3/6 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि व किला न0 8/1 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि से होते हुए गैर सायल संख्या 2 के खेत के प0न0 343/431(17) के किला न0 13 के मिन पूर्व 0.013 हैक्ट भूमि से होते हुए अपने खेत के प0न0 343/431 के किला न0 18 में प्रवेश करता है। यही रास्ता सुविधाजनक व सबसे नजदीक रास्ता है। सायला के अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। रास्ता की बदले की भूमि मे प्रार्थी डीएलसी रेट की दुगुनी किमत गैरसायलान को देने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश [illegible] 1 के खेत रोही मौजा 6 बारानी के प0न0 343/431(17) के किला न0 3/6 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि व किला

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न0 8/1 के मिन पूर्व की 0.013 हैक्ट भूमि से होते हुए गैर सायल संख्या 2 के खेत के प0न0 343/431(17) के किला न0 13 के मिन पूर्व 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की पक्षकारान का समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार द्वितीय पक्षकार संख्या 1 के खेत रोही मौजा 12 बारानी के प0न0 343/431 (17) के किला न 3/6 के मिन पश्चिम की 0.012 हैक्ट भूमि व 3/6 के मिन पश्चिम दक्षिण कोना की 0.001 हैक्ट व किला न0 8/1 के मिन पश्चिम की 0.013 हैक्ट भूमि व द्वितीय पक्षकार संख्या 2 के खेत प0न0 343/431 (17) के किला न0 13 के मिन मध्य की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाकर द्वितीय पक्षकार संख्या 2 उक्त रास्ता के बदले अपने खेत के प0न0 343/431(17) के किला न0 14 के मिन उत्तर की 0.013 हैक्ट व किला न0 15 के मिन उत्तर की 0.013 हैक्ट भूमि द्वितीय पक्षकार संख्या 1 को देगा प प्रथम पक्षकार अपने खेत के प0न0 343/417(17) के किला न0 24 के मिन उत्तर की 0.019 हैक्ट भूमि व 25 के मिन उत्तर की 0.019 हैक्ट भूमि द्वितीय पक्षकार संख्या 2 को देगा इसी अनुसार दोनो पक्षकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा सकेगे तथा नजरिया नक्शा को राजीनामा का भाग समझा जावेगा। उक्त समझोता हम पक्षकारान द्वारा होश हवाश व बिना किसी दवाब के तहरीर करवाये है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की प्रार्थना पत्र के संबंध में पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई एतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

उभयपक्षों को सुना गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 93/87 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 227/6 की कुल 4.4395 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 12 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 208/204 की कुल 1.5180 हैक्ट गैरसायल संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि मुताबिक राजीनामा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना जरूरी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं पक्षकारान की सहमति के आधार पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा 12 बारानी के प0न0 343/431 (17) के किला न 3/6 के मिन पश्चिम की 0.012 हैक्ट भूमि व 3/6 के मिन पश्चिम दक्षिण कोना की 0.001 हैक्ट व किला न0 8/1 के मिन पश्चिम की 0.013 हैक्ट भूमि व प0न0 343/431 (17) के किला न0 13 के मिन मध्य की 0.013 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है उक्त रास्ता के बदले की भूमि मे अप्रार्थी संख्या 2 के दर्ज भूमि में से कम की जाकर प0न0 343/431(17) के किला न0 14 के मिन उत्तर की 0.013 हैक्ट व किला न0 15 के मिन उत्तर की 0.013 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे व प्रार्थी के दर्ज भूमि मे से कम की जाकर प0न0 343/417(17) के किला न0 24 के मिन उत्तर की 0.019 हैक्ट भूमि व 25 के मिन उत्तर की 0.019 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested